



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032021-225698
CG-DL-E-06032021-225698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 968]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2021/फाल्गुन 14, 1942

No. 968]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2021/PHALGUNA 14, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2021

का.आ. 1056(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा, श्रीमती इबाशीशा मावलॉग, संयुक्त सचिव (राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग) मेघालय सरकार, को मेघालय राज्य में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की नार्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत अतिरिक्त कार्यभार आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं.-एल .14014/161/2018-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2021

S.O. 1056(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Ibashisha Mawlong, Joint Secretary (Revenue & Disaster Management Department), Government of Meghalaya to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for North – East Natural Gas Pipeline Grid Project of M/s Indradhanush Gas Grid Limited in the State of Meghalaya.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F.No. L-14014/161/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.